परिषद् के मुख्यालय 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में दिनांक 14 जुलाई, 1975 को 10-30 बजे पूर्वान्ह में हुई उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद् की वर्ष 1975 की तृतीय बैठक का कार्यवृत्त ।

निम्नलिखित उपस्थित थे :-

1) श्री वी0एस0कटारा	अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त	अध्यक्ष
2) श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित		सदस्य
3) श्री महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव		सदस्य
4) श्री राज बहादुर व्दिवेदी		सदस्य
5) श्री सत्तार अहमद		सदस्य
6) श्री आर0के0भार्गव	विशेष वित्त सचिव, वित्त विभाग (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
7) श्री वी0एन0चन्ना	सचिव, स्वायत्त शासन ~~अभियन्त्रण~~ एवं नियोजन विभाग	सदस्य

2- बैठक की कार्यवाही पर विचार-विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

क्र0सं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1)	परिषद् की दिनांक 14 मई, 1975 को हुई वर्ष 1975 की व्दितीय बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	III/(1)/75	परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।
2)	परिषद् की वर्ष 1975 की व्दितीय बैठक दिनांक 14 मई, 1975, के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट ।	III/(2)/75	परिषद् ने वर्ष 1975 की व्दितीय बैठक दिनांक 14 मई, 1975 के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट का अवलोकन किया ।
3)	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद् को सतर्कता आयोग के अधिक्षेत्र में लाने पर विचार ।	III/(3)/75	परिषद् ने विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद् को उ0प्र0सतर्कता आयोग के अधिक्षेत्र में लाने के लिये शासन को परिषद् की सहमति से ~~xx~~ सूचित कर दिया जाय ।
4)	डायमण्ड डेरी गृहस्थान योजना, लखनऊ से हुये विस्थापितों को आवंटन में सुविधा ।	III/(4)/75	परिषद् ने विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि मामले पर विचार अभी स्थगित कर दिया जाय और इसे परिषद् की बैठक में पुन: रखा जाय ~~x~~ जब सदस्यों द्वारा स्थल पर संदर्भित भूखण्डों का निरीक्षण कर लिया जाये और उनके विचार प्राप्त हो जाये ।
5)	मोहनपुरी आवास योजना संख्या-4, मेरठ के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग के भवन संख्या-32 जो श्री एच0एस0भार्गव के नाम नकद क्रय पध्दति पर आवंटित हुआ है, को उनके पौत्र श्री राहुल पुत्र मेजर सुभाष भार्गव के नाम हस्तान्तरण किया जाना ।	III/(5)/75	परिषद् ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि श्री एच0एस0भार्गव को मोहनपुरी आवास योजना न0-4, मेरठ के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग का भवन संख्या-32 अपने पौत्र श्री राहुल को गिफ्ट रूप में देने की अनुमति दे दी जाये
6)	दातव्य एवं शिक्षण संस्थाओं को परिषद् द्वारा भूमि दिये जाने के संबंध में प्रस्ताव ।	III/(6)/75	परिषद् ने विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से मामले पर विचार करने हेतु निम्नलिखित-सदस्यों की एक उप-समिति का गठन किया:- 1) श्री महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव 2) श्री राज बहादुर व्दिवेदी 3) श्री वी0एन0चन्ना । साथ ही साथ यह निर्णय लिया कि उप-समिति की संस्तुतियाँ प्राप्त होने पर मामले को पुन: परिषद् के समक्ष रखा जाय ।

(हस्ताक्षर)
(द्वारका नाथ टण्डन)
उप आवास आयुक्त एवं सचिव

क0पृ0उ0

(11)

1	2	3	4
7)	परिषद् की आवास योजनाओं के अन्तर्गत प्लाटों/भवनों/फ्लेटों के आवंटन सम्बन्धी विलेखों की स्वीकृति ।	III/(7)/75	परिषद् ने विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि प्लाटों तथा भवनों का पूरा प्रीमियम तथा मूल्य प्राप्त हो जाने पर परिषद् का द्वितीय चार्ज रखने में कोई आपत्ति नही है । परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था केवल ऐसे मामले में ही की जानी चाहिये जब प्लाट या भवन के आवंटी-प्लाट/भवन के लिये जीवन बीमा निगम किसी बैंक, शासन या अपने इम्पलायर से ऋण लेना चाहता हो व उसके लिये प्लाट या भवन को बंधक रखना चाहे ।
8)	मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत 80 भवनों के निमाणार्थ वर्ष 1975-76 में शासन से 20 लाख रुपये का ऋण ।	III/(8)/75	परिषद् ने विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से गाजीपुर बल्लोली गृहस्थान् योजना में मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अधीन 80 भवनों के लिये शासन से 20 लाख रुपये का ऋण लेने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।
9)	भूमि अध्याप्ति एवं विकास योजना के अन्तर्गत शासन से वर्ष 1975-76 में 35 लख रुपये का ऋण ।	III/(9)/75	परिषद् ने सर्वसम्मति से भूमि अध्याप्ति एवं विकास योजना के अन्तर्गत इस वर्ष शासन से 35 लाख रुपया ऋण लेने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया ।
10)	शासन की गारेन्टी बगैर रु0 200 लाख के ऋण पत्र जारी करने की अनुमति ।	III/(10)/75	परिषद् ने विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि शासन की बिना गारेन्टी के रु0 200 लाख के ऋण पत्र जारी किये जायें । परिषद् ने यह भी इच्छा व्यक्त की कि परिषद् की अगली बैठक में इस ढंग से प्राप्त होने वाले धन के उपयोग, उसकी अदायगी की व्यवस्था इत्यादि सहित पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाये ।
11)	नियमावधि जमा (फिक्सड् डिपाजिट) योजना के माध्यम से संसाधन जुटाना ।	III/(11)/75	परिषद् ने विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से टिप्पणी में उल्लिखित ब्याज की दरों पर शासन द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में नियतावधि जमा योजना चलाये जाने की अनुमति प्रदान की तथा इसे यूनाइटेड कमर्शियल बैंक एवं/अथवा इण्डियन ओवरसीज बैंक के माध्यम से कार्यान्वित किये जाने की भी अनुमति प्रदान की ।
12	मेट्रोपालीटन शहरों तथा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार की संगठित नगर विकास योजना के अन्तर्गत मेरठ शहर की विकास योजना को कार्यान्वित करने हेतु 33 लाख रु0 के ऋण ।	III/(12)/75	परिषद् ने विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से मेट्रोपोलिटन शहरों तथा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार की गठित नगर विकास योजना के अन्तर्गत मेरठ शहर की विकास योजना कार्यान्वित करने हेतु 33-00 लाख रु0 के ऋण प्राप्त करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया ।
13)	ज्येष्ठ वित्त अधिकारी एवं ज्येष्ठ लेखाधिकारी को रु0 25,000/= तक के चेकों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार देना ।	III/(13)/75	परिषद् ने विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से ज्येष्ठ वित्त अधिकारी/ज्येष्ठ लेखाधिकारी को रु0 25,000/= तक के चेकों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया ।
14)	परिषद् की "लाल डिग्गी गृहस्थान योजना, मिर्जापुर" (क्षेत्रफल 5 एकड़) के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई के संबंध में नियोजन समिति (पूर्वी क्षेत्र) की बैठक के कार्यवृत्त पर निर्णय ।	III/(14)/75	परिषद् ने सर्वसम्मति से विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया कि "लाल डिग्गी गृहस्थान योजना, मिर्जापुर" का परित्याग कर दिया जाय ।

(हस्ताक्षर)
उप आवास आयुक्त एवं सचिव

कृ0पृ0उ0

1975 की III बैठक 14 जुलाई

(12)

1	2	3	4
15)	बसौली गाजीपुर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, लखनऊ के संबंध में मिस ए०डी०इन्जीनियर की आपत्ति पर नियोजन समिति (केन्द्रीय क्षेत्र, बुन्देल खण्ड क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र) xxxxxxxxxxxxxxxx के निर्णय की पुष्टि ।	III/(15)/75	परिषद ने नियोजन समिति की रिपोर्ट को विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से अनुमोदित किया और यह निर्णय लिया कि डॉ० मिस ए०डी०इन्जीनियर के आपत्ति को खारिज किया जाये तथा योजना में समाविष्ट उनकी भूमि, बाउन्डरी वाल व निर्माण को अर्जित किया जाये । साथ यह भी निर्णय लिया कि विस्थापितों के संबंध में परिषद की सामान्य नीति के अनुसार डा०इन्जीनियर प्राथमिकता के आधार पर एक विकसित प्लाट अथवा निर्मित भवन प्राप्त कर सकती है ।
16)	रमना भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, फैजाबाद को आगे चलाने अथवा परित्याग करने पर विचार ।	III/(16)/75	परिषद ने विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि रमना भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, फैजाबाद का परित्याग कर दिया जाये ।
17)	अंगूरीबाग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, फैजाबाद को धारा 31(1) के अधीन, परिषद की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्राक्कलन ।	III/(17)/75	परिषद ने विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से 'अंगूरी बाग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, फैजाबाद' को उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 31 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की ।
18)	राजस्व परिषद के कर्मचारियों को 2% अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क की वसूली संबंधी बिलों को पारित करने हेतु फीस भुगतान करने के सम्बन्ध में ।	III/(18)/75	परिषद ने विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से राजस्व परिषद के कर्मचारियों को 2% अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क की वसूली संबंधी बिलों को पारित करने हेतु फीस भुगतान करने के प्रस्ताव पर इस बैठक में विचार स्थगित कर दिया ।
19)	बसौली गाजीपुर योजना के अन्तर्गत चिकित्सा विभाग को प्रसूति गृह तथा नगरीय परिवार नियोजन कल्याण केन्द्र हेतु 5 एकड़ अतिरिक्त भूमि का हस्तान्तरण ।	III/(19)/75	परिषद ने विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से बसौली गाजीपुर योजना के अन्तर्गत चिकित्सा विभाग को प्रसूति गृह तथा नगरीय परिवार नियोजन कल्याण केन्द्र हेतु 5 एकड़ अतिरिक्त भूमि के हस्तानान्तरण का प्रस्ताव टिप्पणी के अनुसार और उसमें उल्लिखित शर्तों पर देना स्वीकृत किया ।
20)	परिषद की दिल्ली रोड पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं०-I, हरिद्वार (क्षेत्रफल 27-5 एकड़) के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई के संबंध में नियोजन समिति (पश्चिमी क्षेत्र) की बैठक के कार्यवृत्त पर निर्णय ।	III/(20)/75	परिषद ने सर्वसम्मति से विचार-विमर्श के पश्चात् दिल्ली रोड पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-I, हरिद्वार के संबंध में नियोजन एवं विकास समिति की संस्तुति का अनुमोदन किया । साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया कि जब योजना के लिये उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा 31 में परिषद की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टिप्पणी रखी जाये तो उसमें इस बात का उल्लेख होना चाहिये कि योजना को चलाने हेतु धन का प्रबन्ध कैसे किया जायेगा
21)	मेरठ हाउसिंग एकोमोडेशन तथा स्ट्रीट स्कीम संख्या-3, खण्ड-III के लिये हाउसिंग एण्ड अरबन डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० द्वारा स्वीकृत रु० 52 लाख के शासन की गारन्टी पर परिषद द्वारा ऋण लिये जाने की स्वीकृति ।	III/(21)/75	परिषद ने विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से मेरठ हाउसिंग एकोमोडेशन तथा स्ट्रीट स्कीम संख्या-3, खण्ड-III के लिये हाउसिंग एण्ड अरबन डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० द्वारा स्वीकृत रु० 52 लाख के शासन की गारन्टी पर ऋण लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की ।

कृ०पृ०उ०

1	2	3	4
22)	परिषद् के कार्यकलापों की प्रगति विवरण ।	111/(22)/75	परिषद् ने कार्य कलापों की प्रगति के विवरण का अवलोकन किया । श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित के सुझावों पर परिषद् ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इस बात पर विचार करके कि सीतापुर में कोई मलिन बस्ती सुधार एवं निपातन योजना चलाई जा सकती है अथवा नहीं मामला परिषद् के समक्ष रखा जाय तथा जो धन इस प्रकार की योजनाओं के लिये शासन से प्राप्त है उसे अन्य प्रयोजनों में न लगाकर उसी कार्य में लगाये जाने की चेष्टा की जाय व इसे शासन को वापस न किया जाय । श्री राज बहादुर व्दिवेदी ने यह प्रश्न उठाया कि जब कभी भी परिषद् के वृत्तों, खण्डों आदि में कोई परिवर्तन किया जाय तो उसकी सूचना परिषद् के समक्ष अवश्य रखी जाय । परिषद् ने सर्वसम्मति से श्री दीक्षित तथा श्री व्दिवेदी के सुझावों का अनुमोदन किया ।
23)	अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय ।	111/(23)/75	अध्यक्ष महोदय ने मुख्यालय पर आशुलिपिकों के चयन संवर्ग के संबंध में श्री आर०के०भार्गव से प्राप्त पत्र संख्या-ई-6-2348/दस-75-5/69/71 दिनांक 16 जून, 1975 को परिषद् के समक्ष रखा । परिषद् ने सर्वसम्मति से विचार-विमर्श के पश्चात् यह निर्णय लिया कि मामले को पुनः परिषद् के समक्ष रखा जाय ।

===============

(द्वारका नाथ टण्डन)
उप आवास आयुक्त एवं सचिव